

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 09.12.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6883 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6883 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत पड़रिया पुल से कालर द्वारा अटिंगा और आँटो का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.इतियाक अली पुत्र इस्तेखार अहमद 2.इरसाद पुत्र इतियाक सा0 दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- का0 अमित वर्मा, का0 सत्येन्द्र कुमार मद्देशिया, आ0चा0 अम्बरीश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 148 वाहनों से 1,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 148 वाहनों से 1,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।